



32/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 358 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : 05/5/15
अप्रैल-2015

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-जौनपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	442102011001229	IFSC Code UBIN0558583	65.784

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं०-1 में मछली शहर पडाव पर ईदगाह उत्तरी गेट से कटघरा रोड पर जब्बार मिस्त्री के मकान से नशीर मिस्त्री के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.548
2	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं०-15 के मो० बलुआघाट में मल्लाह बस्ती में राजेश के मकान से आत्म प्रकाश व सत्य प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.808
3	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं०-15 के मो० बलुआघाट में सत्य प्रकाश के मकान से अरविन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.541
4	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं० 15 के मो० बलुआघाट में जयन्ती प्रसाद के मकान से खराद की दुकान तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	0.996
5	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं०-26 के मुफ्ती मोहल्ला में अब्दुल साईद के मकान से इलाहाबादी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.463
6	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं०-26 के मुफ्ती मोहल्ला में निर्माण के मकान से ओमप्रकाश सेठ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.299
7	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 26 मुफ्ती मोहल्ला में रूकमणि के मकान से सुभाष सेठ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.103
8	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 26 के मोहल्ला तूतीपुर ताडतला में सुभास सेठ के मकान से मजार तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.345
9	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 26 के मोहल्ला तूतीपुर में प्रेमचन्द्र सेठ के मकान से अर्जुन सेठ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.790



32/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	ग्रामपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 28 के मोहल्ला मखदूमशाह अढन में चहारसू चौराहे से मौर्या के मकान होते हुए मनोज के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.936
11	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 29 के मोहल्ला तारापुर में जमील भाई के मकान से मजीद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.502
12	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 29 के मोहल्ला तारापुर में विनोद के मकान से मजार तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.765
13	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड नं० 29 में मोहल्ला कटघरा में बदलापुर मुख्य मार्ग से उर्मिला निवास तक नाली निर्माण कार्य।	1.448
14	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड 29 के मोहल्ला कटघरा में सोनकर बस्ती में शिवमूरत के मकान से मनोज के मकान होते हुये जिलेदार के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.719
15	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं० 31 के मोहल्ला रौजा अर्जन में अनवर ड्राइवर के मकान से टयूबेल तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.427
16	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं० 31 के मोहल्ला रौजा अर्जुन में साहब के मकान वाली गली में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.445
17	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड सं० 31 के मोहल्ला रौजा अर्जुन में मुख्तार अहमद पूर्व सभासद के मकान से आरिफ अंसारी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.356
18	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० जौनपुर	वार्ड संख्या 31 के मोहल्ला बगीचा उमर खा बडी मस्जिद के पीछे उत्तरी साइट में बाबू के मकान से कल्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.950
19	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड संख्या 5 में भादी में रमजान के घर से महफूज अगरबत्ती वाले के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.285
20	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड सं० 5 भादी में परवेज के घर से अनीस चाय वाले के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.694
21	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड संख्या 5 भादी में मुनिवर के घर से रहीम केशरी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.231
22	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड संख्या 5 भादी में श्री लोहार के घर से इजहार खां के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.413
23	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड सं० 5 भादी में नसी मिया के घर से नैजू के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.367
24	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड सं० 22 एराकियाना में समद सवाव के घर से मदरसा होते हुए अकील अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.495
25	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड सं० 22 एराकियाना में भगल के अहाते से रहमान व चिनगी के घर होते हुए अकील के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.288
26	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शाहगंज	वार्ड सं० 22 एराकियाना में अब्दुल रहीम के घर से मकसूद अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.185
27	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37	न०पा०प०	वार्ड सं० 22 एराकियाना में वकील महमूद के घर से अली	2.623



32/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
		बजट	शाहगंज	अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	
28	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 केरावत	मोहल्ला नरहन में आदम अली के मकान से दिलीप सोनकर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.118
29	जौनपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 केरावत	मोहल्ला नरहन में ढोले खां के मकान से बचाऊ चौक के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.644
	योग				65.784

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दश में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्त न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



32/4


दूरभाष- 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक